हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग
***

No.- FFE-B-F(2)-9/2022 Dated: Shimla-171 002, the 26, April, 2023

ORDER

Subject:- Diversion of 1.7409 ha of forest land (1.5322 ha for road construction & 0.2087 ha for dumping) in favour of HPPWD, for the construction of Nahan to Dharali road, within the jurisdiction of Rampur Forest Division Distt. Shimla, Himachal Pradesh

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 9–एच.पी.बी. 147/2012–सी.एच.ए. /2338,स दिनांक 08.02.2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.7409 है0** (1.5322 ha for road construction & 0.2087 ha for dumping) वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF-215 (c) Sukhachhau में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3.5 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.00 है0 DPF-215 (c) Sukhachhau वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूकर वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। Nodal Officer-cum-CCF (FCA) O/o Pr.CCF (HOFF), H.P. के पत्र संख्या Ft.48-2408/2012(FCA), dated 22-04-2019 के माध्यम से Site Suitability Certificate की प्रति Addl. PCCF (Central), MoEF, GoI, Regional Office, (North-Central Zone), Dehradun को प्रेषित कर दी गई है।
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।
8. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसा 67 Trees and 937 Saplings से अधिक न हो।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।
12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि०प्र० वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय द्वारा इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 26 April, 2023

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla District Shimla, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Rampur Forest Division, District Shimla, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Rampur, District Shimla, H.P.
8. Guard File.

प्र.मु.अ.पा (वन बल) हि.प्र.
पावती सं 400
दिनांक 29/4/23

(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

DFO (FCA)
28/4/2023

❖❖❖❖❖